संख्या-01/2021/33/12-5-2021-सा0-01/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ::दिनांक 14 जनवरी, 2021

विषय:- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की मृत्यु होने के पश्चात् उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक समस्त जिलाधिकारियों एवं कृषि निदेशक, उ0प्र0 को सम्बोधित शासनादेश संख्या-23/2020/693/12-5-2020-सा0-01/2019, दिनांक 03 जून, 2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश द्वारा निर्देशित किया गया था कि पी0एम0 किसान योजना के अन्तर्गत लाभ पा रहे अगर कोई लाभार्थी/कृषि भू-स्वामी मृतक हो जाता है तो उनकी आगामी किश्तों को रोका जाय एवं उनके स्थान पर केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वारिसों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उनकी पात्रता का परीक्षण करते हुए योजना का लाभ आरम्भ किया जाए।

3- इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1496/एक-9-2020, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है कि राजस्व विभाग के उक्त शासनादेश में प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज कराये जाने हेतु अभियान चलाकर 02 माह में पूरा करने के निदेश समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिये गये है। उपरोक्त शासनादेश के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक लेखपाल राजस्व ग्रामों में भ्रमण कर के विरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रहे है और आनलाइन प्रक्रिया से ही जॉच कर राजस्व निरीक्षक द्वारा विरासत निर्विवाद होने की स्थिति में आदेश निर्गत किये जा रहे है।

4- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा निर्देशों के अधीन उन कृषकों को लाभ दिया जा सकता है जो निर्विवाद विरासत/उत्तराधिकार के रूप में स्वामी होते है। इस योजना के पात्र किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आगे की देय किस्तों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तत्काल प्रभाव से रोकते हुए उनके स्थान पर उनके पात्र उत्तराधिकारी को लाभ उपलब्ध कराया जाना है। विरासत के माध्यम से स्वामी बने पात्र किसानों को केन्द्र सरकार के पी0एम0 किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स की प्रक्रिया से आनलाइन आवेदन भरवा कर उसके सत्यापन के उपरान्त केन्द्र सरकार को प्रेषित करना है जिससे उनको भविष्य में लाभ प्राप्त हो सके। मृतक कृषकों की सूची राजस्व विभाग के पोर्टल से प्राप्त हो जायेगी।

5- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाए जा रहे इस अभियान के क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे लाभार्थी कृषक भूस्वामी की मृत्यु की जानकारी प्राप्त कर उनकी आगामी किस्तों को रोकते हुए, निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम पात्र लाभार्थी के डाटाबेस से निरस्त कराते हुए उनके वारिस की पात्रता की जॉच कराकर स्वघोषणा पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड की प्रति प्राप्त करते हुए आनलाइन प्रार्थना पत्र भरवाना सुनिश्चित करें।

6- राजस्व विभाग के कर्मचारी भी फील्ड में उक्त कार्य करते समय इसका प्रचार करेंगे कि विरासत दर्ज होने के पश्चात् वारिस किसान पात्र होने की स्थिति में अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति से स्वंय अथवा कृषि विभाग के कर्मचारियों से सम्पर्क कर अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से दर्ज करवा सकते है।

संलग्नक:-यथोक्त ।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-01(1)/2021/33/12-5-2021-सा0-01/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपयुर्क्त विषय पर प्रगति आख्या जिलाधिकारियों से प्राप्त कर शासन को अवगत करायें।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-23/2020/693/12-5-2020-सा0-01/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
   कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 03 जून ,2020**

विषयः- "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि(पी0एम0-किसान)" योजना के लाभार्थियों की मृत्यु होने के पश्चात उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्गत शासनदेश संख्या-6/2019/07-भा0स0/12-5-2019-सा-01/2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019, शासनदेश संख्या-8/2019/204/12-5-2019-सा-01/2019, दिनांक 06 फरवरी, 2019, सपठित शुद्धि पत्र संख्या-9/2019/204(2)/12-5-2019-सा-01/2019, दिनांक 07 फरवरी, 2019, शासनदेश संख्या-31-भा0स0/12-5-2019-सा-01/2019, दिनांक 05 अप्रैल, 2019, शासनदेश संख्या-26/2019/36-भा0स0/12-5-2019-सा-01/2019, दिनांक 08 अप्रैल, 2019, शासनदेश संख्या-30/2019/609/12-5-2019-सा-01/2019, दिनांक 09 मई, 2019 एवं शासनदेश संख्या-797/12-5-2019-सा-01/2019, दिनांक 13 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि पी0एम0-किसान योजना के अन्तर्गत 02 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों का चयन हो गया है तथा वह योजना का लाभ प्रति वर्ष 03 बराबर किश्तों में प्राप्त कर पा रहे हैं। ये आवश्यक है कि अगर कोई लाभार्थी/कृषि भू-स्वामी मृतक हो जाता है तो उनकी आगामी किश्तों को रोका जाय एवं उनके स्थान पर केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वारिसों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उनकी पात्रता का परीक्षण करते हुए योजना का लाभ आरम्भ किया जाए।

3- उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (यथासंशोधित) की धारा-33 में उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण की निम्नलिखित प्रक्रिया दी गयी है:-

(i) उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हल्के के, जिसमें भूमि स्थिति है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ii) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक-

(क) यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अभिलिखित करेगा:

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) किसी अन्य मामले में ऐसी जाँच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा;

(iii) कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित हो, वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(iv) इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इस संहिता के उपबन्धों या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा असंक्रमणीय अधिकारयुक्त या असामी स्वीकार किया गया हो।

4- उपर्युक्त के क्रम में योजना के लाभार्थी भू-स्वामी की मृत्यु हो जाने की दशा में निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

(i) कृषि विभाग की फील्ड अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र का विवरण (राजस्व ग्राम के विवरण सहित) निर्धारित कर दिया जाय तथा तहसील/विकास खण्ड को भी प्रेषित कर दिया जाये।

(ii) सम्बन्धित राजस्व कर्मी का दायित्व होगा कि वह वरासत दर्ज करते ही मृतक का विवरण संबंधित कृषि विभाग के फील्ड अधिकारी को भेजें, जिससे उनका भविष्य की किस्तों का भुगतान रोका जा सके।

(iii) कृषि विभाग के अधिकारी/फील्ड लेबल कर्मचारी नियमित रूप से (कम से कम एक पक्ष में एक बार) अपने कार्य क्षेत्र के राजस्व कर्मियों/लेखपाल से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनके क्षेत्र में अनिवार्यतः कितने कृषक/कृषि भू-स्वामियों की मृत्यु हुई है।

(iv) कृषि विभाग के फील्ड कर्मचारी स्वयं भी समय-समय पर अपने विभागीय कार्य हेतु ग्रामों का भ्रमण करते हैं। भ्रमण के समय भी वह इस बात की जानकारी लेंगे कि किसी कृषक की मृत्यु हुई है अथवा नहीं, और ऐसी सूचना होने पर उसका पूर्ण विवरण प्राप्त करेंगे।

(v) मृतक लाभार्थी के आश्रित भी स्वयं मृत्यु की सूचना इस आशा के साथ दे सकते हैं कि वारिसों को पीएम किसान के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया जाए।

5- इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त होने पर मृतक लाभार्थी का जिला स्तर पर ही स्टाप पेमेंट संबंधित उप निदेशक, कार्यालय द्वारा किया जाएगा एवं उस प्रकरण का विवरण साक्ष्य सहित निदेशालय को भेजा जाएगा। जिसके संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए जा चुके हैं और व्यवस्था बनी हुई है।

6- निदेशालय द्वारा ऐसे प्रकरणों का डेटा डिलीट करते हुए उस लाभार्थी का कारणों सहित सूची से नाम हटा दिया जाएगा जिससे भविष्य में उनका भुगतान रुक सके।

7- पीएम-किसान योजना की भारत सरकार द्वारा जारी गाइड-लाइन के प्रस्तर-5.3.3(i) में दी गयी व्यवस्थानुसार मृत लाभार्थी के वैध उत्तराधिकारियों को यदि वे योजना की गाइड-लाइन के अनुसार पात्रता श्रेणी में आते हैं तो समस्त औपचारिकताएं तथा अभिलेख आदि का सत्यापन कराते हुए राजस्व विभाग से पुष्टि एवं संस्तुति के उपरान्त उनका पीएम-किसान योजना के लाभार्थी के रूप में ऑन-लाइन पंजीकरण किया जायेगा और तदनुसार योजना का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा। उनके आधार कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक खाता की प्रतिलिपि व स्व-घोषणा प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा एवं संबंधित राजस्व कर्मी से भूमि का सत्यापन करते हुए उनका लाभार्थी के रूप में चयन करते हुए सम्मिलित किया जाएगा।

तदनुसार ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

डा0 देवेश चतुर्वेदी

प्रमुख सचिव

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-23/2020/693(1)12-5-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6- समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल हेतु।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11/DM/2020
अभिषेक प्रकाश
जिला मजिस्ट्रेट
लखनऊ।

सर्वाधिक प्राथमिकता

संख्या- 1496 /एक-9-2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 10 दिसम्बर 2020

विषयः प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु अभियान कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि भू-अभिलेखों को अद्यतन रखना राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। समय-समय पर वरासत आदि को राजस्व अभिलेखों में अद्यतन करते रहना राजस्व विभाग का दायित्व है। वरासत के प्रकरणों में समय से कार्यवाही न होने से न केवल विधिक उत्तराधिकारी अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं, अपितु अनावश्यक विवाद भी उत्पन्न होते हैं परिणाम स्वरूप असामाजिक तत्वों/भू-माफियाओं द्वारा भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जाता है, जिससे कभी-कभी कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

2- राजस्व संहिता अधिनियम 2006 की धारा-31 के अनुसार कलेक्टर का यह दायित्व है कि वह राजस्व संहिता नियमावली में विहित रीति से प्रत्येक ग्राम के अधिकार अभिलेख (खतौनी) रखेगा। कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुये उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, अधिकार अभिलेख, खतौनी, खसरा व मानचित्र में समस्त परिवर्तन जो घटित होंगे और ऐसे अन्य समस्त संव्यवहारों को, जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेंगें। अतः राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखने के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व प्रशासन के द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज करने हेतु दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 से 15 फरवरी, 2021 तक दो माह का विशेष अभियान चलाया जाय।

अतः निर्विवाद उत्तराधिकार/वरासत हेतु आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-29 व परिषदादेश 4629/4-1ए-17(वरासत) दिनांक 14 अगस्त 2017 के निर्धारित प्रकिया का अनुपालन किया जाये, परन्तु आवेदन पत्रों के अग्रसारण व उस पर की जा रही जांच आख्या आदि के अंकित करने की ऑनलाइन कार्यवाही परिषदादेश सं0-9616/4-34ए/2018(वरासत) दिनांक 29 अक्टूबर 2018 में दी गयी आनलाइन प्रकिया के अनुसार ही की जायेगी। राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/2018/248/1-2-2018-5(सामान्य)/2018 दिनांक 22.02.2018 द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार व अविवादित

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वरासत दर्ज कराये जाने के संबंध में विशेष अभियान चलाये जाने के दिशा निर्देश उल्लिखित किये गये हैं।

आवेदन की प्रकिया–

1. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट दिये जाने की स्थिति में आवेदक स्वयं ऑनलाइन अथवा जनसेवा केन्द्र पर प्रार्थना पत्र भरने के लिए राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in के मुखपृष्ठ पर दिये गये राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली लिंक पर उपलब्ध उत्तराधिकार/वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर0सी0 09 पूर्व में "प क–11 क") लिंक पर जाकर अपना मोबाइल नम्बर अंकित करेगा, तत्पश्चात मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 को भरकर अपना एक बार पंजीकरण करेगा तथा वाँछित सूचनायें पोर्टल पर भरेगा।
2. लेखपाल द्वारा रिपोर्ट दिये जाने की स्थिति में लेखपाल द्वारा अपनी लॉगिन आई0डी0 से उत्तराधिकार/वरासत सम्बन्धी विवरण भरा जा सकेगा।
3. आवेदन अथवा लेखपाल द्वारा प्रार्थना पत्र भरे जाने के पश्चात सबमिट करते ही आवेदन क्रमांक स्वतः जनरेट हो जायेगा तथा सम्बन्धित राजस्व ग्राम के हल्का लेखपाल और सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक के लॉगिन आई0डी0 पर स्वतः प्रेषित हो जायेगा।

उक्त प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट/लेखपाल द्वारा सत्यापन के आधार पर मृतक/विवाहिता/पुनर्विवाहिता की वरासत दर्ज किये जाने हेतु निम्न कार्यक्रमानुसार निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु अभियान निम्न समय सारिणी के अनुसार संचालित किया जाएगा–

क्र0	अभियान कार्यक्रम	निर्धारित दिनांक
1	राजस्व/तहसील अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार–प्रसार तथा खतौनियों का पढ़ा जाना तथा लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हे ऑनलाइन भरा जाना।	15–12–2020 से 30–12–2020
2	क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा परिषदादेश सं0–9616/4–34ए/ 2018 (वरासत) दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 में दी गयी व्यवस्था 'लेखपाल द्वारा आनलाइन जॉच की प्रकिया' के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	31–12–2020 से 15–01–2021
3	राजस्व निरीक्षकों द्वारा परिषदादेश सं0–9616/4–34ए/ 2018(वरासत) दिनांक 29 अक्टूबर 2018 में दी गयी व्यवस्था 'राजस्व निरीक्षक जॉच एवं आदेश पारित करने की प्रकिया' के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	16–01–2021 से 31–01–2021
4	राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश को आर–6 में दर्ज करने के पश्चात खतौनी की प्रविष्टियो को भूलेख साफ्टवेयर में अद्यावधिक करना।	16–01–2021 से 31–01–2021
5	जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व	01–02–2021 से 07–02–2021

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	ग्रामों में निर्विविवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है।	
6	अभियान के अन्त में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के दस प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुये उनमें अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जॉच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है।	08-02-2021 से 15-02-2021
7	जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाइट पर फीड करना।	(1) 31.12.2020 (2) 17.01.2021 (3) 02.02.2021
8	जनपदों द्वारा परिषद को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की समय-सीमा	20-02-2021

4. उपरोक्त अभियान को सफलतापूर्वक सम्पादित करने हेतु राजस्व प्रशासन के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :-

(4.1) सभी मण्डलायुक्तों के द्वारा इस अभियान का पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा राजस्व ग्रामों में खतौनियों के पढ़े जाने तथा अविवादित उत्तराधिकारियों की वरासतों को दर्ज किये जाने की कार्यवाहियों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण भी किया जायेगा।

(4.2) जनपद स्तर पर इस अभियान के सफल संचालन का दायित्व संबधित जिलाधिकारी का होगा। जिलाधिकारी के द्वारा इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के साथ बैठकें की जाये। सम्पूर्ण समाधान दिवसों में भी अभियान का प्रचार-प्रसार किया जाय। अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी के द्वारा नियत तिथि पर राजस्व ग्रामों का निरीक्षण किया जायेगा।

(4.3) उप जिलाधिकारी और तहसीलदार का दायित्व होगा कि प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये उपरोक्तानुसार भ्रमण कार्यक्रम तैयार करते हुये उसे सभी संबंधित राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों को सूचित करें। जिन ग्रामों के अधिकतर काश्तकार अन्य स्थानों पर निवास करते हों उन ग्रामों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होगी।

(4.4) उप जिलाधिकारी के द्वारा भ्रमण कार्यक्रम की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी व अन्य शासकीय विभागों को भी सूचनार्थ एवं यथावांछित सहयोग हेतु प्रेषित की जाये। पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाये कि वे राजस्व निरीक्षक द्वारा आयोजित ग्राम राजस्व समिति की बैठक में परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु रजिस्टर व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के साथ उपस्थित रहें ताकि राजस्व अभिलेखों, पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग के अभिलेखों में एकरूपता रहे और तीनों विभागों के द्वारा रक्षित अभिलेखों को एक ही साथ अद्यावधिक किया जा सके।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4.5) उप जिलाधिकारी/तहसीलदार यह भी सुनिश्चित करेगें कि राजस्व निरीक्षकों द्वारा प्राप्त कराये गये समस्त प्रपत्रों के अनुसार राजस्व निरीक्षक (कार्यालय)/सदर कानूनगो द्वारा यथाशीघ्र कम्प्यूटरीकृत खतौनी में निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नामों की प्रविष्टि कराते हुये "भूलेख" साफ्टवेयर अद्यावधिक कर दिया जाये व तदनुसार अद्यावधिक खतौनी की नकलें निर्गत की जायें। अभियान के दौरान उप जिलाधिकारी/तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के द्वारा अपने क्षेत्रों में व्यापक भ्रमण किया जाये।

(4.6) ऐसे काश्तकारों के लिये जो सामान्यतः ग्रामों में निवास नहीं कर रहे है या जिनका निर्धारित दिवस पर राजस्व ग्रामों में पहुचना सम्भव न हों, उनके लिये प्रत्येक तहसील में एक काउण्टर खोलते हुये अविवादित वरासतों को दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायें। उनकी सहायता के लिये हेल्प-लाईन तथा जन सुविधा केन्द्रों का भी उपयोग किया जाये। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित कराया जायें।

(4.7) अभियान से संबंधित आवश्यक सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से फीड की जायेगी और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर प्रगति की समीक्षा की जायेगी। अभियान की समाप्ति पर जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्नकः-1, 2) प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है।

(4.8) अभियान के अन्त में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के दस प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुये उनमें अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जॉच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है। यदि जॉच में यह पाया जाता है कि किसी ग्राम में संबंधित लेखपाल राजस्व निरीक्षक के द्वारा अविवादित वरासत बिना किसी समुचित कारण के दर्ज नहीं की गयी है तो उनके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाये। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित भी किया जाये।

(4.9) जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर व मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल स्तर पर नियमित पाक्षिक समीक्षा की जायेगी।

5. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाये जा रहे इस अभियान में व्यक्तिगत रूचि लेते हुये उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से राजस्व परिषद एवं शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अभियान में वांछित सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अभियान में वांछित सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अभियान में वांछित सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

10/11/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या–1596/एक–9–2020 दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक :–

प्रारूप–1

प्रारूप ..... निर्विवादित वरासत अभियान के अन्तर्गत धारा–33 राजस्व संहिता अधिनियम
दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 से 15 फरवरी, 2021 तक

	जनपद	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या (जिनमें श्रमण सत्यापन कार्य सम्पन्न हुये)	लेखपाल द्वारा सत्यापन में मृतक/विवाहित /पुनर्विवाहित (स्त्री) पाये गये खातेदारों की संख्या	राजस्व निरीक्षक द्वारा निस्तारित अविवादित वरासत के प्रकरण			विवादित प्रकरण		राजस्व निरीक्षक द्वारा निर्णय/संदर्भ हेतु अग्रशेष (कालम 6 के सापेक्ष)
					दर्ज वादों की संख्या	जारी आदेशों की संख्या	खतौनी में दर्ज वरासतों की संख्या	संदर्भित प्रकरण	दर्ज वादों की संख्या	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या–1496 /एक–9–2020 दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक :–

प्रारूप–2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद ..... में 15 फरवरी 2021 तक वरासत के समस्त प्रकरणों का संज्ञान लेकर उनके अविवादित उत्तराधिकारियों के नाम खतौनी में दर्ज कर दिये गये हैं। अब कोई अविवादित प्रकरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से अवशेष नहीं है।

ह0 तहसीलदार

ह0 उपजिलाधिकारी

ह0 जिलाधिकारी

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।